न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रकरण सं0 3/2016 प्रार्थना पत्र 14(4)

गिर्राज प्रसाद पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान

..प्रार्थी

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

बनाम

1. रामावतार पुत्र भूरामल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान
3. भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा जरिये अध्यक्ष उपखंड अधिकारी दौसा

..अप्रार्थीगण

उजरात धारा 14(4) भू आवण्टन नियम–1970 विरूद्ध आवंटन आदेश, आवंटन कमेटी दिनांक 26.6.1992 बहक रामावतार पुत्र भूरामल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा बाबत भूमि खसरा नंबर 656 रकबा 0.41है. द्वारा उपखंड अधिकारी दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थित–1. श्री गिर्राज शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

2. श्री राकेश जैमन, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 17.8.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.6.1992 को आराजी खसरा नंबर 656 के रकबा 0.41है. वाके ग्राम बासना का आवंटन अप्रार्थी रामावतार पुत्र भूरामल को कर दिया गया। उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 26.6.1992 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आराजी खसरा नंबर 656 रकबा 0.41है. वाके ग्राम बासना का आवंटन आवंटन कमेटी की सिफारिश पर कैंप बासना में उपखंड अधिकारी दौसा की अध्यक्षता में किया गया है। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध प्रकिया मिसरिप्रजेन्टेशन व फ्रॉडपूर्ण होने के कारण निरस्त योग्य है। अप्रार्थी ने मिल्लत व षडयंत्र से कपटपूर्ण तरीके से तथ्यों का छिपाते हुए फ्रॉडपूर्ण झूंठा आवेदन पत्र पेश कर ग्राम बासना की भूमि सख्या नंबर 656 रकबा 0.41है. [illegible] तथा आवंटन आवेदन पत्र पर मात्र नाम, पता व आवंटन के लिए चाही गई भू[illegible] दर्शाया गया है, शेष बिन्दुओं का कोई विवरण नहीं दिया गया है। [illegible] हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार अपूर्ण, झूंठे आवेदन पर भूमि आवंटन [illegible] निरस्तनीय [illegible] अप्रार्थी संख्या 01 के संयुक्त परिवार में अलग–2 [illegible] .0 हैक्टेयर भूमि थी [illegible] तथ्य को अप्रार्थी संख्या 01 ने हल्का पटवारी से साज करके कपटपूर्ण तरीके से छुपाकर भूमि खसरा नंबर 656 का आवंटन करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त परिवार को दिनांक 1.6.1989 को खवारावजी कैम्प में आवंटन कमेटी अध्यक्ष उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:10 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 2 पर

अप्रार्थी सं0 1 के पिता भूरामल पुत्र छीतरमल के नाम भूमि खसरा नंबर 658/1 रकबा 0.75है. वाके ग्राम बासना का आवंटन किया गया है तथा दिनांक 17.6.2000 को आवंटन कमेटी अध्यक्ष उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के भाई संजय पुत्र भूरामल को भूमि खसरा नंबर 658 रकबा 0.41है. वाके ग्राम बासना का आवंटन किया गया है। इन दोनों आवंटन आदेशों से अप्रार्थी सं. 01 के संयुक्त परिवार को कुल 1.16है. भूमि का आवंटन हो चुका था। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने भूमि आवंटन आवेदन पत्र पर नहीं लिख कर कपटपूर्ण तरीके से भूमि आवंटित करवाई गई है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा हल्का पटवारी के साथ मिल्लत व साज कर अवैध साधनों का प्रयोग कर लालच व प्रलोभन देकर फर्जकारी झूंठी रिपोर्ट तैयार करवाई गई। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को अनुचित व विधि विरूद्ध तरीके से लाभ पहूँचाने के उद्देश्य से कपटपूर्ण तरीके से अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी सं.1 के खाते में 0.52है. भूमि चाही व 0.23है0 भूमि बारानी दर्शायी गयी है तथा आवंटन के लिए चाही भूमि खसरा नंबर 656 व 658 दर्शायी है तथा मौके के स्थिति का कोई उज्र नहीं किया गया। पटवारी हल्का ने अप्रार्थी संख्या 01 की पैतृक संपत्ति का कोई वर्णन नहीं किया। भूमि के आवंटन आवेदन पत्र पर गिरदावर द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है ना ही गिरदावर द्वारा मौके की जांच की गई है, ना ही आपत्ति दर्ज की गई है। भूमि आवंटन हेतु गिरदावर की रिपोर्ट आवश्यक थी। आवंटन कमेटी में ना तो कोरम पूर्ण था तथा ना ही भूमि आवंटन के लिए कोई अधिसूचना जारी की गई। भूमि आवंटन के लिए भूमिहीन कृषकों की कोई सूची तैयार नहीं की गई ना ही आमसभा में भूमि आवंटन किया गया है। यह आवंटन ग्राम सभा में न होकर ग्रामसभा हापावास से 39 किलोमीटर दूर उपखंड अधिकारी दौसा के कार्यालय में बैठकर किया गया है। इस प्रकार अपूर्ण आवंटन कमेटी का आदेश अवैधानिक एवं फॉडपूर्ण होने के कारण भी निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त परिवार को दिनांक 1.6.1989 को खवारावज़ी कैम्प में आवंटन कमेटी अध्यक्ष उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पिता भूरामल पुत्र छीतरमल के नाम भूमि खसरा नंबर 658/1 रकबा 0.75है. वाके ग्राम बासना का आवंटन किया जा चुका था। उक्त तथ्य को अप्रार्थी सं0 1 व पटवारी हल्का द्वारा कपटपूर्ण तरीके से छिपाकर खसरा नंबर 656 में से 0.41है0 भूमि का आवंटन कराया गया है। आवंटन के समय अप्रार्थी सं01 के पिता के नाम मात्र 6.07है. भूमि होना बताया गया तथा अप्रार्थी सं01 का हिस्सा 1/5 अंकित किया गया। उक्त सारी की सारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट साजपूर्ण थी। अप्रार्थी सं0 1 का विवाह वर्ष 2006 मे हुआ था तथा अतिक्रमी की हैसियत 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की होना तथा इस रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं01 दिनांक 26.6.1992 को विधार्थी के रूप में अध्ययनरत था। राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार कृषि की परिभाषा में कहीं भी शिक्षा पढाई करने के कार्य को कृषि में सम्मिलित नहीं किया गया है ना ही विधार्थी को कृषक की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं01 दिनांक 26.6.1992 को कृषक की श्रेणी में नहीं होने से भूमि खसरा नंबर 656 का अप्रार्थी सं01 के हक में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं01 के संयुक्त परिवार [illegible] मात्रा में कृषि भूमि थी, इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं01 के पिता भूरामल व दादी [illegible] दिनांक 28.9.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लगभग 24 [illegible] का फूलचंद अजमेरा, एडवोकेट निवासी पापडदा से क्रय की गइ थी। इस प्रकार अप्रार्थी सं01 गरीब भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं होने के कारण किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं01 संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के ताउ क्रमशः श्रीगोपाल अजमेर विश्वविधालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर एवं परशुराम पोस्ट मास्टर, भारतीय डाक विभाग के पद पर तथा अप्रार्थी सं01 के चाचा श्रवण कुमार राज0विश्वविधालय जयपुर में वरिष्ठ लिपिक के पद

......निरंतर 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर कार्यरत थे। अप्रार्थी सं01 का परिवार संपन्न परिवार होने से कारण व गरीब भूमिहीन कृषक नहीं थे। साथ अप्रार्थी सं01 के बुजुर्गान जमीनों की खरीद फरोख्त का धन्धा करते थे तथा गरीब किसानों को ऋण मुहैया करवाकर गरीब किसानों की जमीनों को गिरवी रखते थे तथा जरिये स्टांप पर कई किसानों को जमीनों का विक्रय किया जिसकी आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई। प्रार्थी बुजुर्गान के समय से ही उक्त भूमि खसरा नंबर 659 वाके ग्राम बासना पर मौसमी तौर पर पशु चराया करते थे तथा प्रार्थी का अने बुजुर्गो के समय से ही कब्जा रहा है। अप्रार्थी सं01 व उसके बुजुर्गान बेहद चालाक व जालसाज व्यक्ति है, उनके द्वारा पहले आवंटन दिनांक 17.6.2000 को भी रामावतार के भाई संजय द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 658 का आवंटन चाहा गया था। प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी दिनांक 6.1.2016 को हुई। आवंटन की जानकारी होने के पश्चात आवंटन निरस्त करवने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 26.6.1992 को अप्रार्थी सं01 के पक्ष में ग्राम बासना के खसरा नंबर 656 रकबा 0.41है. के किये गये आवंटन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की बहस में दलील है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 656 रकबा 0.41है. वाके ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान (तत्कालीन तहसील दौसा) का अप्रार्थी संख्या 01 के हक में हुए आवंटन आदेश दिनांक 26.6.1992 के विरूद्ध पूर्व में ही न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहाँ चाहती देवी ने प्रार्थना पत्र 14(4) प्रकरण संख्या 39/2006 उनवानी चाहती बनाम रामावतार पेश किया था, जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 29.12.2006 पारित करके चाहती का उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 के हक में उक्त भूमि खसरा नंबर 656 रकबा 0.41है0 वाके ग्राम बासना का आवंटन आदेश दिनांक 26.6.1992 बहाल रख दिया जो निर्णय दिनांक 26.6.1992 आज भी प्रभावी है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 के विरूद्ध चाहती ने माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में अपील उनवानी मु0चाहती बनाम रामावतार वगै0 (अपील संख्या 19/2008) पेश की गई, जो अपील भी गुणावगुण के आधार पर सुनवाई होकर निर्णय दिनांक 31.10.2014 पारित करके माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा ने अपील खारिज कर दी तथा अप्रार्थी संख्या 01 के हक में उक्त भूमि के हुए आवंटन आदेश को बहाल रखा व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 29.12.2006 को बहाल रखा गया जो आज दिनांक को भी प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त भूमि पर आवंटन के समय से बदस्तूर काबिज है व अप्रार्थी सं0 01 ने आवंटन की शर्तों की पूर्ण पालना की है। अप्रार्थी नं0 1 के हक में विधिवत रूप से उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 के हक में हुए उक्त भूमि के आवंटन के विरूद्ध एक बार प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 पूर्व में ही निर्णित होने के पश्चात भी कानून की अवहेलना करते हुए प्रार्थी गिर्राज प्रसाद द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) उसी आवंटन के विरूद्ध पेश कर दिया जबकि कानूनन एक बार प्रार्थना पत्र 14(4) निर्णित होने के बाद उसी आवंटन के विरूद्ध पुनः प्रार्थना पत्र 14(4) नहीं चल सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। आरबीजे 2000 पेज 262 पर माननीय उच्च न्यायालय की रूलिंग भी है जिसकी प्रति पेश की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:10 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर खसरा नंबर 656 का आवंटन दिनांक 26.6.1992 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत

......निरंतर 4 पर

प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) पूर्व में ही माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 के द्वारा निर्णित किया जाकर आवंटन को बहाल रखा गया है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 को माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के द्वारा निर्णय दिनांक 31.10.2014 के द्वारा अपीलांट की अपील खारिज करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 को यथावत रखा गया है। कानून के मुताबिक एक बार प्रार्थना पत्र 14(4) निर्णित होने के बाद उसी आवंटन के विरूद्ध पुनः प्रार्थना पत्र 14(4) नहीं चल सकता है। आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा किया गया आवंटन पूर्ण कोरम में किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प हापावास द्वारा अप्रार्थी रामावतार पुत्र भूरामल जाति ब्राहमण निवासी बासना को दिनांक 26.6.1992 के द्वारा ग्राम बासना स्थित भूमि खसरा नंबर 756 रकबा 0.41है. भूमि का आवंटन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन आदेश दिनांक 26.6.1992 को पूर्व में प्रार्थिया चाहती ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 उनवानी चाहती बनाम संजय वगै0 प्रकरण संख्या 39/2006 पेश कर उक्त आवंटन को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई थी। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाकर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को खारिज किया जाकर भू आवंटन सलाहकार समिति के किये गये आवंटन दिनांक 26.6.1992 को बहाल रखा गया था। प्रार्थिया चाहती ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 29.12.2006 को माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में अपील संख्या 18/2008 उनवानी मु0 चाहती बनाम रामावतार वगै0 पेश कर चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा द्वारा दिनांक 31.10.2014 को निर्णय पारित कर अपील निरस्त कर दी गई है। हम इस तथ्य से सहमत है कि एक बार प्रार्थना पत्र 14(4) निर्णित होने के बाद उसी आवंटन के विरूद्ध पुनः प्रार्थना पत्र 14(4) नहीं चल सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस ज्युडिकेटा लागू होता है। इस प्रकार हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 26.6.1992 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबम्बर [illegible] हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:10 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 अगस्त 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा